

फर्द डिकी मुकदमात इत्तादाई

आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला
कोटा

प्रकरण संख्या : 76/2017

तारीख दायरा 16.08.2016

उनवान

1. धनपाल पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद ।
 2. गिरिराज पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद ।
 3. द्वारकीबाई पत्नी छीतरलाल जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला
कोटा ।
- वादीगण

बनाम

1. श्रीमती हेमलता पत्नी उदयशंकर जाति माली निवासी ग्राम बपावरकलां तहसील
सांगोद ।
 2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा ।
- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादीगण)

दिनांक :- 12.11.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी)



माज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मुझ श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.) व
जरी श्री दिनेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रुबरु श्री मिन जानिब मुददायल पेश
कर आदेश दिया जाता है कि-

8

मत्य प्रातोलिापे

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी

कोटा

माल ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खतोनी संख्या 29 के खसरा नंबर 473 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 474 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता दो की कुल 0.24 हैक्टर आराजी, खतोनी संख्या 30 के खसरा नंबर 472 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 481 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नंबर 1040 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नंबर 1041 रकबा 0.63 हैक्टर कुल किता चार की कुल 2.96 हैक्टर, खतोनी संख्या 27 के खसरा नंबर 681 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नंबर 1054 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नंबर 1055 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नंबर 1056 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नंबर 1057 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नंबर 1069 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 1070 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1071 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 1072 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 9 की कुल 1.70 हैक्टर, एवं खतोनी संख्या 28 के खसरा नंबर 688 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नंबर 689 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता दो की कुल 0.18 हैक्टर आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है -

क्र० सं०	नाम ग्राम	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा	लगान
1	खडिया	हेमलता बाई पत्नि उदयशंकर जाति माली निवासी बपावरकलां	472	0.61	13.64
			473	0.18	3.96
			474	0.06	1.32
			481 पश्चिमी	0.55	12.10
			1054 पूर्वी	0.01	0.22
			1055 पूर्वी	0.02	0.44
			1057	0.29	6.38
			कुल किता 07	1.72	

2	खडिया	धनपाल पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति माली	688	0.09	2.79
			1040	0.62	13.64
			1041	0.63	13.86
			1054 मध्य	0.07	0.66
			1055 पश्चिमी	0.26	5.72
			कुल किता 5	1.67	

3	खडिया	गिरिराज पुत्र चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति माली	481 पूर्वी	0.55	12.10
			681	0.08	2.48
			1054 पश्चिमी	0.03	1.54
			1056	0.29	6.38
			1070	0.07	1.54



			1071	0.24	5.28
			1072	0.33	7.26
			कुल किता 7	1.59	

4	खडिया	द्वारकीबाई पत्नि छीतरलाल जाति माली निवासी खडीया	689	0.09	2.79
---	-------	---	-----	------	------

5	खडिया	धनपाल, गिरिराज पुत्रान चतरा उर्फ चतुर्भुज जाति माली	1069	0.01	—
---	-------	---	------	------	---

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार कृषक घाषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में खातों का विभाजन कर राजलगान पृथक से अंकित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सांगोद (क)

उपखण्ड सजिस्ट्रेट
(सजेश जागी)
सांगोद, जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, कोटा।

क्रमांक - 2022/642

दिनांक - 13/12/22


तहसीलदार,
तहसील सांगोद।

विषय - इजराय संख्या उनवान धनपाल बनाम
हेमलता मुताबिक निर्णय/डिक्री पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० 76/90/17 उनवान धनपाल
बनाम हेमलता के न्यायालय में दिनांक 12.11.2022 को
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय/डिक्री की छाया प्रति
भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.12.23... से पूर्व पालना करना
सुनिश्चित करें।

संलग्न -

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

26/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू० अभि०) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 846

दिनांक- 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय, प्र० सं०..... 78/2017


उनवान..... एनपाल / हेमलता में जारी डिक्री दिनांक.

16/8/2016 की पालना में ग्राम..... श्यामपुरा में नामान्तरकरण सं..... 658

दिनांक 23/12/23 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी

है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।


तहसीलदार (भू० अभि०)

तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

नाम :- खडिया
हल्का :- खडिया
पि.ति. :- बपावरकलां
सौगोद
कोटा

सम्बत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 26
खाता संख्या पुराना :- 27

कार का नाम:-

हेमलता पत्नि उदयशंकर हिस्सा- पूर्ण जाति- माली सा. बपावरकलां खातेदार
हिन (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा बपावरकलां,

खता संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
257	0.2900	चाही तृतीय	0.2900	6.38		
1054	0.0100	चाही तृतीय	0.0100	0.22		
1055	0.0200	चाही तृतीय	0.0200	0.44		
481	0.5500	चाही तृतीय	0.5500	12.10		
72	0.6100	चाही तृतीय	0.6100	13.42		
73	0.1800	चाही तृतीय	0.1800	3.96		
74	0.0600	चाही तृतीय	0.0600	1.32		
खन्ने - 7	1.7200		1.7200	37.8400		

स्वीकृत नामान्तरकरण : 658 23/02/2023 न्याया. अदेश

ह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

